-::निर्णय::-

दिनांक 28.10.2025

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार यह है कि प्रार्थीगण की भूमि चक 16 जेआरके तहसील हनुमानगढ के खाता सं. 51/49, 167/41, 134/123, 48/169 में पइती है जिनकी जमाबंदी संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि चक 15 जे.डी.डब्ल्यू के पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 16. 25 व पत्थर नंबर 51/244 (69) के किला नबर 19 ता 24 कुल 8 बीघा भूमि है। चक 15 जे.डी. डब्ल्यू के पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 5 जगमाल पुत्र हुकमाराम जाति मेघवाल निवासी उत्तमसिंहवाला के नाम दर्ज है. जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान आप्रार्थीगण सख्या 4 ता 9 है व अपार्थी संख्या 3 के नाम अन्य भूमि के अलावा चक 15 जेडीडब्ल्यू के पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 6 व 15 दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण तथा अन्य काश्तकारान की भूमि चक 15 जे.डी.डब्ल्यू व चक 16 जेआरके में पइती है। दोनो चको व आबादी से आने जाने के लिए चक 15 जेडीडब्ल्यू के पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 5. 6. 15. 16, 25 में बने रास्ता से करीब 50 वर्षो से आ जा रहे है. इसी लाईन पर दोनों चको में रास्ता रिकार्ड में दर्ज है लेकिन पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में सहबन राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में चल रहे रास्ता में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा रास्ता बन्द करने का प्रयास कर रहे है।

यह कि उक्त रास्ता दोनो चको के काश्तकारों को अपने खेतो व ढाणियों में आने जाने के लिए उपयोग हो रहा है। उक्त रास्ता को पूर्व भांति चलाये रखने हेतु तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ द्वारा आदेश जारी किया गया था लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 16 व 25 रास्ता में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कई दफा कहा कि 7-8 मुरब्बा लम्बा रास्ता है, इसलिए पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 16 व 25 में रास्ता में बाधा उत्पन्न या बन्द नहीं करे तो वे ऐसा करने से इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि प्रार्थीगण उक्त पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 5. 6, 15, 16, 25 में 2-2 बिस्वा रास्ता मंजूर किये जाने के लिये रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में नियमानुसार उचित मुआवजा देने के लिए सहमत है।

यह कि प्रार्थीगण दोनो चको के काश्तकारों को मात्र चक 15 जेडीडब्लयू के पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 5, 6, 15, 16. 25 में रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता नहीं मंजूर होने व बाधा उत्पन्न होने से अपरिमेय क्षति हो रही है उक्त रास्ता रिकार्ड मे दर्ज नहीं होने के कारण सभी काश्तकार अपने खेतो में आने जाने व कृषि औजार व ट्रैक्टर आदि ले जाने में महरूम हो रहे है व अपनी कृषि भूमि को सुचारू रूप से काश्त नहीं कर पा रहे है। इसलिए उक्त रास्ता मंजूर करवाने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व रास्ता का उपयोग व उपभोग करने के मुश्तहक है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

(3)

यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि चक 15 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 50/244 (90) किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में 2-2 बिस्वा रास्ता मंजूर कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पूर्व भांति रास्ता चालू रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामपाल इंसा, प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह व अप्रार्थी सं. 4 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार बिश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व संसाधित शीर्षक मय प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया जो स्वीकार कर रिकोर्ड पर लिया जाता है। अप्राथीगगण 4 ता 9 द्वारा जवाब इकबालदावा पेश किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2, 3 द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में राजीनामा सहमति का पेश किया जो बाद तस्दीक के शामिल पत्रावली किया गया। जिससे प्रकरण में कोई विरोध होना प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**
2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**
3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि-

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

-:क्रियान्विति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1, 2 की कृषि भूमि चक 15 जेडीडब्ल्यू प.न. 50/244 मु.न. 90 कि.न. 16/.018, 25/.018 अप्रार्थी सं. 3 की कृषि भूमि चक 15 जेडीडब्लयू प.न. 50/244 मु.न. 90 कि.न. 6/.025, 15/.025 व अप्रार्थी सं. 7, 9 के दादा जगमाल के नाम दर्ज भूमि प.न. 50/244 मु.न. 90 कि.न. 5/1 में 0.018 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 मुकेश कुमार का रकबा अप्रार्थी सं. 2 राकेश कुमार के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है, कि.न. 16, 25 में स्वीकृत रास्ता .036 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी सं. 2 के हिस्से से कम की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्धा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ